सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025 / 400 दर्ज तिथिः— 09.06.2025

1. बाबूलाल पुत्र गंगाराम
2. करनाराम पुत्र राणाराम
3. डामरसिंह पुत्र राणाराम
4. दुर्गाराम पुत्र समेलाराम
5. नुक्लाराम पुत्र राणाराम
6. नैनाराम कोडेसा पुत्र समेलाराम
7. पुरखाराम पुत्र राणाराम
8. जोगाराम पुत्र गंगाराम
9. भंवराराम पुत्र समेलाराम
10. मुलाराम पुत्र राणाराम
11. लाभुराम पुत्र समेलाराम
12. शंकराराम पुत्र समेलाराम

जाति भांभी साकिन गुरूओ का तला तहसील नोखड़ा

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. भारता पुत्र गुणेशा
2. नीम्बा पुत्र गुणेशा
3. श्रायचन्द पुत्र गुणेशा
4. विरधा पुत्र गुणेशा
5. केसाराम पुत्र किस्तुराराम
6. दला पुत्र मुलाराम
7. धारा पुत्र मुलाराम
8. मूमल पत्नी मूलाराम
9. मांगाराम पुत्र डूंगराराम
10. मिरगोदेवी पत्नी डूंगराराम
11. अगरीदेवी पत्नी पनाराम
12. अन्तरोदेवी पत्नी घमण्डाराम
13. इन्द्रादेवी पत्नी रेशमाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:53:46 IST
Reason: SelfAttested

14. करनाराम पुत्र रेशमाराम
15. कोशलाराम पुत्र रेशमाराम
16. गेनाराम पुत्र ताजाराम
17. जेताराम पुत्र पनाराम
18. जोगाराम पुत्र पनाराम
19. जोधाराम पुत्र मूलाराम
20. तुलसाराम पुत्र रेशमाराम
21. देदाराम पुत्र रेशमाराम
22. देवाराम पुत्र ताजाराम
23. नेनाराम पुत्र मूलाराम
24. नेनाराम पुत्र ताजाराम
25. मुकेश कुमार पुत्र घमण्डाराम
26. मिसराराम पुत्र घमण्डाराम
27. रिड़मलराम पुत्र मिसराराम
28. विश्नाराम पुत्र तारा
29. हेमराम पुत्र मूलाराम
30. ठाकराराम पुत्र उदाराम
31. डालूराम पुत्र उदाराम
32. वालाराम पुत्र उदाराम
33. सजनीदेवी पत्नी उदाराम
34. दमाराम पुत्र राणाराम
35. बाबु पुत्र फुसा
36. मांगा पुत्र फुसा
37. राणा पुत्र फुसा
38. लाधाराम पुत्र राणाराम
39. चेतनराम पुत्र सागराराम
40. जगदीश पुत्र नीम्बाराम
41. तोगाराम पुत्र नीम्बाराम
42. प्रहलादराम पुत्र सागरा
43. माडु पत्नी नीम्बा
44. राजकुमार कोडेचा पुत्र चेतनराम
45. वगताराम पुत्र नीम्बाराम कौम भांभी
46. आम्बा पुत्र वीरचन्द
47. चुना पुत्र वीरचन्द
48. धारा पुत्र वीरचन्द
49. पांचा पुत्र लांगा
50. शम्भुलाल पुत्र जलाराम
51. हुरमीदेवी पत्नी जलाराम कौम गरूड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:53:46 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर/उपखंड अधिकारी गुढ़ामालानी
सत्यमेव जयते

52. करनाराम पुत्र वगताराम
53. कला पुत्र नारणा
54. कोजाराम पुत्र वगताराम
55. गोकला पुत्र नारणा
56. देवाराम पुत्र मोवणाराम
57. नेनू पत्नी नारणा
58. मखणी देवी पत्नी मोवणाराम
59. मांगाराम पुत्र मोवणाराम
60. मांगीलाल पुत्र हरखाराम
61. राजु पुत्र नारणा
62. लिच्छु पुत्र वगताराम
63. शोभा पुत्र नारना
64. सवाईराम पुत्र मोवणाराम
65. सिमरथाराम पुत्र वगताराम कौम मेघवाल
66. खेमी पत्नी थानाराम
67. चेतनराम पुत्र थानाराम
68. चुनाराम पुत्र तुलसाराम
69. जेठाराम पुत्र खीयाराम
70. जीयोदेवी पत्नी खीयाराम
71. भगवानाराम पुत्र चुनाराम
72. मोटाराम पुत्र तुलसाराम
73. विश्नाराम पुत्र चुनाराम
74. हरचन्दराम पुत्र चुनाराम
    जाति कुम्हार साकिन गुरूओ का तला तहसील नोखड़ा
75. सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत आडेल।

...........असल अप्रार्थीगण

76. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा होडू
77. तहसीलदार नोखड़ा

.................तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री ठाकराराम चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—ःनिर्णयः—

निर्णय तिथिः—19.01.2026

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:53:46 IST
Reason: SelfAttested

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 568 / 0.1052 है0, 570 / 7.2843 है0, 570 / 4 / 7.5595 है0, 581 / 30.5699 है0, 581 / 2 / 1.6187 है0 मौजा गुरूओ का तला पटवार मण्डल नोखड़ा तहसील नोखड़ा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार नोखड़ा के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार नोखड़ा के आदेश दिनांक 03.11.2025 की पालना में दिनांक 06.11.2025 को पटवारी हल्का नोखड़ा द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 568 / 0.1052 है0, 570 / 7.2843 है0, 570 / 4 / 7.5595 है0, 581 / 30.5699 है0, 581 / 2 / 1.6187 है0 मौजा गुरूओ का तला पटवार मण्डल नोखड़ा तहसील नोखड़ा की पत्थरगढ़ी दिनांक 06.11.2025 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित होने के कारण अनुपस्थित अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 06.11.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries***.—(1) *In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:53:46 IST
Reason: SelfAttested

in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

128. Boundary disputes. *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075–78 वाकै ग्राम गुरूओ का तला में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार नोखड़ा द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम गुरूओ का तला के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 06.11.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नोखड़ा के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 568/0.1052 है0, 570/7.2843 है0, 570/4/7.5595 है0, 581/30.5699 है0, 581/2/1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:53:46 IST
Reason: SelfAttested

6187 है0 मौजा गुरूओ का तला पटवार मण्डल नोखड़ा तहसील नोखड़ा पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 19.01.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:53:46 IST
Reason: SelfAttested